

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 3190 /ऊर्जा विभाग/2002

रायपुर, दिनांक 23-8-02


अधिसूचना

विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (क्रमांक 14 सन् 1998) की धारा की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस वि की पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 2288 दिनांक 1.10.2001 को अति करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का निम्नानुसार करती है एवं यह दिनांक 3.10.2001 से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त जायेगा—

1. आयोग, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का संख्यक 14) की 17 उपधारा (6) तथा (7) के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए चेयरपर्सन को सम्मिलित करते हुए दो सदस्यों से मिलकर बनेगा!
2. आयोग, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का संख्यक 14) में प्रदत्त शक्तियों तथा कृत्यों तथा ऐसे कृत्यों का, जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं निर्वहन करेगा!
3. आयोग का मुख्यालय रायपुर में होगा।
4. आयोग उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा! जिसकी स्थावर तथा चालू सम्पत्ति को अधिग्रहण करने, धारण करने तथा व्ययन करने तथा संविदाओं की शक्ति सहित शाश्वत उत्तराधिकार तथा मुद्रा होगी और उक्त नाम से वाद चला सकेगा या उस पर वाद चलाया जा सकेगा!
5. आयोग का चेयरमैन उक्त आयोग का मुख्य कार्यपालक होगा!

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(एस.एन.ध्रुव)

o/c संयुक्त सचिव, ऊर्जा
छत्तीसगढ़ शासन

125

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
DEPARTMENT OF ENERGY
MANTRALAYA
DAU KALYAN SHINGH BHAVAN
RAIPUR

NO: 3190 /S/E/2002


Raipur/dt, 23-8-02

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 17 of the Electricity Regulatory Commission Act 1998 (No 14 of 1998) and in supersession of Notification No.2288 dt. 1.10.2001 of this department, issued previously, the State Government here by establish a commission known as Chhattisgarh Electricity Regulatory Commission, with effect from 3rd OCT. 2001, as under.

1. The commission shall consist of two members including the Chairperson to be appointed by the State Government in terms of provision of section 17(6) and (7) of the Electricity Regulatory Commission Act 1998.
2. The Commission shall discharge the powers and functions as conferred to it in the Electricity Regulatory Commission Act 1998 and any other functions as may be notified by the Government of Chhattisgarh from time to time.
3. The Head Office of the Commission shall be at Raipur.
4. The Commission shall be a body corporate by name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property, both moveable and immovable and to contract and shall by the said name sue or be sued.
5. The Chairperson of the commission shall be the Chief Executive of the said commission.

By Order and In The Name of
The Government of Chhattisgarh


(S.N. DHRUVA)

JOINT SECRETARY (ENERGY)
GOVERNMENT OF CHHATTISGARH

s/c
m/e